IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(भूमि अर्जन अनुभाग)
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS Bureau of Indian Standards

पत्र सं0– 1604/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–(पत्रा0क्रमांक–99, भाग–2) दिनांक 11.01.2017

नोटिस

(उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–1, 1966) की धारा–33 के अन्तर्गत नोटिस)

लखनऊ शहर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने लखनऊ शहर में ''सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ'' बनायी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में ''उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–1, 1966) की धारा–28 के अन्तर्गत नोटिस संख्या–1245/भू0अ0–दो दिनांक 17.07.2004 का प्रकाशन उत्तर प्रदेश गजट में क्रमशः दिनांक 07.08.2004, दिनांक 14.08.2004 एवं दिनांक 21.08.2004 को कराया गया था जिसमें समाविष्ट योजना की सीमायें निम्न प्रकार हैं:–

उत्तर:– लखनऊ सुल्तानपुर रोड खसरा संख्या–1051, ग्राम सरसवाँ परगना बिजनौर, तहसील एव जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या–626, ग्राम अहमामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

पूरब :– खसरा संख्या 631, 639, 638, 640, 641, 642, 643 ग्राम अहमामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, खसरा संख्या 64, 50, ग्राम चक कजेहरा, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या–646, ग्राम अहमामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, तथा खसरा संख्या– 3, 2, 1, 12, 15, 16, 17, 18 ग्राम चक कजेहरा, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ तथा ग्राम सीमा, ग्राम हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

दक्षिण :– नहर खसरा संख्या 367, 371, ग्राम निजामपुर मझगांवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, खसरा संख्या 281, 277, ग्राम बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, खसरा संख्या– 319, ग्राम निजामपुर मझगांवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, खसरा संख्या 276, 275, ग्राम बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या 695 भाग, 721, 718, 721, 716, 710, 711, 712, ग्राम सेवई, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ तथा ग्राम सीमा, ग्राम सरथुआ, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ तथा ग्राम सीमा बिरूरा, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

पश्चिम :– लखनऊ रायबरेली रेलवे लाइन की सीमा स्थित ग्राम बरौली खलीलाबाद, ग्राम शकूलरपुर, ग्राम हरिहरपुर, ग्राम मलाक, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, तथा सीमा दिलकुशा छावनी, परगना, तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या 1250, 1556, 1257, 1259, 1231, 1228, 1227 ग्राम सरसवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–7, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरानगर, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह तक देखे जा सकते हैं।

उक्त योजना के सम्बन्ध में परिषद अधिनियम–1965 की धारा–28 से 31 तक की अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अन्तिम रूप से परिषद अधिनियम–1965 की धारा–32 (I) का प्रकाशन दिनांक 07.10.2006 को कराते हुये 1524.33 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु योजना संचालित की गयी। तदोपरान्त 646.97 एकड़ भूमि का एवार्ड घोषित किया गया।

योजना का सुचारू रूप से संचालन किये जाने के उपरान्त परिषद अधिनियम–1965 की धारा–28 दिनांक 07.08.2004 को एवं धारा–32 (I) दिनांक 07.10.2006 को प्रकाशित अधिसूचना के दृष्टिगत परिषद के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम बरौली खलीलाबाद, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या–1665 का रकबा त्रुटिपूर्ण रूप से 93 बीघा (23.52 हे0) के स्थान पर 73 बीघा (18.468 हे0) अंकित है, जबकि उक्त भूमि परिषद की योजना के अन्दर है, जो परिषद के लिये वांछित है।

उक्त त्रुटि के फलस्वरूप प्राकृतिक रूप में यह दृष्टिगोचर हुआ कि परिषद की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना) लखनऊ ही नहीं प्रभावित हुयी, बल्कि जनमानस भी इससे प्रभावित हुआ क्योंकि योजना में आवासों हेतु जनमानस को भी असुविधा हुयी।

इस प्रकार बरौली खलीलाबाद की खसरा संख्या–1665 की कब्जा/अभिनिर्णय हेतु अवशेष कृषक भूमि रकबा 20 बीघा भूमि अधिग्रहण से छूट गयी और उस पर कोई आसुधार शुल्क अधिभारित नहीं हुआ।

उपर्युक्त के दृष्टिगत परिषद की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना) लखनऊ में परिवर्तन वांछनीय है। अतः मा0 परिषद की 239वीं बैठक दिनांक 21.10.2016 के मद संख्या–239/22 के द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 की धारा–33 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये क्रमांक–01 से 13 तक उल्लिखित व्यक्तियों को इस आशय की नोटिस पंजीकृत डाक से प्रेषित की गई है कि परिषद के उक्त संशोधित प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां इस नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करेंगे। यह भी सत्यापित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में निर्धारित तिथि तक यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जायेगा कि उक्त संशोधित प्रस्ताव से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और तदनुसार परिषद अग्रेतर विधिक कार्यवाही करेगी।

अतः प्रश्नगत खसरा संख्या–1665, ग्राम बरौली खलीलाबाद की निम्नांकित तालिका के क्रमांक 01 से 13 तक में उल्लिखित कब्जा/अभिनिर्णय हेतु अवशेष भूमि हेतु संशोधित प्रस्ताव पर जिन काश्तकारों/भूस्वामियों को यदि कोई आपत्ति हो तो इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्तियां कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–7, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरानगर, लखनऊ में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

भूमि का विवरण:– खसरा संख्या–1665, ग्राम बरौली खलीलाबाद, परगना–बिजनौर, तहसील–सरोजनी नगर, जिला–लखनऊ

क्रमांक	पुराना खाता संख्या	नवीन खाता संख्या	रकबा हे0 में	काश्तकार का नाम	अभिनिर्णय घोषित क्षेत्रफल (हे0में)	कब्जा/अभिनिर्णय हेतु अवशेष क्षेत्रफल (हे0में)
1	473	252	2.491	सर्वजीत सिंह पुत्र हरदेव सिंह		1.2455
2	''	''	''	सवेन्दर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह	1.1795	0.066
3	311	159	0.379	मंशाराम पुत्र रामदयाल		0.379
4	27	18	0.126	राम लोटन	0.0315	0.0945
5	218	119	0.013	बाबूलाल गंगाप्रसाद आदि		0.013
6	300	158	0.063	मंशा राम पुत्र रामदयाल		0.063
7	443	229	1.770	शिव प्रसाद, बिन्दा प्रसाद	1.704	0.066
8	256	139	0.506	मनप्रीत सिंह		0.506
9	151	277	0.379	श्रीमती दयावती		0.379
10	122	68	0.126	जगन्नाथ आदि		0.126
11	329	122	0.025	श्रीमती राधादेवी		0.025
12	231	121	0.253	बांकेलाल आदि		0.253
13	256	139	1.264	मनप्रीत सिंह		1.264
14	558	–	0.696	ऊसर		0.696
					अवशेष रकबा	**5.176**

आवास आयुक्त